



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273170
CG-DL-E-05062026-273170

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2748]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2748]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISHTHA 13, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

का.आ. 2842(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना [सं. का.आ. 1401(अ), दिनांकित 31 मई, 2013] द्वारा तमिलनाडु राज्य में नए रा.रा-532 को तमिलनाडु राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ.110(अ) दिनांकित 07.01.2020 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-532 के कुड्डालोर से वृधाचलम खंड के डिजाइन किमी 0.800 से किमी 57.800 (मौजूदा किमी 0.800 से किमी 51.00) तक, पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु 51.831 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तथा 2.968 किमी (0.2968 किमी लंबाई वाले [तालिका-3]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर तथा चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए 3.847 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तथा 2.261 किमी (0.2261 किमी [तालिका-3]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) हेतु तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार की आधार दर के साथ प्रतिशत पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरीय)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में), जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में यू.पोन्नालागरम गांव के पास एनएच-532 के किलोमीटर 45.200 पर	51.831 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	3.847 किमी	दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित टोल प्लाजा, (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं [^] की लंबाई (कि.मी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में यू.पोन्नालागरम गांव के पास एनएच-532 के किलोमीटर 45.200 पर	0.2968	2.968	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	0.2261	2.261	दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

[^]अवसंरचनाओं (> 60 मी. लंबाई) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई(कि.मी.)
	किमी से	किमी तक		
1	25/342	25/438.8	बड़ा पुल (4 लेन)	0.0968
2	22/780.259	22/848.559	ग्रेड सेपरेटर 22/8 (2 लेन + पेन्ड शोल्डर)	0.0683
3	50/904.13	51/061.93	ग्रेड सेपरेटर 5 1/2 (2 लेन+ पेन्ड शोल्डर)	0.1578
4	53/900	54/100	बड़ा नदी पुल (4 लेन)	0.200
कुल				0.5229

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 350.00 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।
4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 498.82 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/चेन्नई/एमओआरटीएच/12014/एनएच532/48/एपी/2021-22/ई-205408]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2026

S.O. 2842(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O.1401(E) dated 31st May 2013], issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the entire new National Highway No.532, in the State of Tamil Nadu to the State Government of Tamil Nadu.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008

(hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession to the notification bearing S.O.110 (E) dated.07.01.2020, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 51.831 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 2.968 km (having length of 0.2968 km [Table-3]) for the use of four or more lane and at sixty per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 3.847 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.261 km (having length of 0.2261 km [Table-3]) for the use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Cuddalore to Vridhachalam Section from design km 0.800 to km 57.800 (existing km 0.800 to km 51.00) of National Highways number 532 in the State of Tamil Nadu and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor the said fee, namely.

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three- axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length(in km) for which Fee is payable (Excluding Structure > 60mlength)	Rate at which fee is payable
At Km 45.200 of NH-532 near Village U.Ponnalagaram in Cuddalore District of Tamil Nadu	51.831 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	3.847 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures in to an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10, at the base rate mentioned in table 1 above:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 45.200 of NH-532 near Village U.Ponnalagaram in Cuddalore District of Tamil Nadu	0.2968	2.968	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	0.2261	2.261	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above.

^ The details of structures (> 60 m length) are as under:-

S.No	Chainage		Type of structure	Length(in Km.)
	From Km	To Km		
1	25/342	25/438.8	Major Bridge (4L)	0.0968
2	22/780.259	22/848.559	Grade Separator 22/8 (2L+PS)	0.0683
3	50/904.13	51/061.93	Grade Separator 51/2 (2L+PS)	0.1578
4	53/900	54/100	Major river Bridge (4L)	0.200
Total				0.5229

3. The rate of Monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three hundred and Fifty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 498.82 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-532/48/AP/2021-22/ E- 205408]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.